### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] No. 453] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2017/अग्रहायण 22, 1939

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 381

DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2017/AGRAHAYANA 22, 1939 [N.C.T.D. No. 381

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

सं. 33 /2017- राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(46)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/807.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जी.एस.टी. परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक, 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है. यथा:—

(i) सारणी में क्रम सं. 9 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,—

"10	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवेरसीइंग कमेटी के	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित	भारतीय रिजर्व
	सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	ओवेरसीइंग कमेटी के सदस्य	बैंक।"।

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव -VI (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 13/ 2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक, 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV, में प्रकाशित किया गया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 22/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 6 सितंबर, 2017, सं. फा. 03(27)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/587, दिनांक 6 सितंबर, के तहत संशोधन किया गया था।

### FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 12th December, 2017

No. 33/2017-State Tax (Rate)

**No. F3 (46)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/807.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi on the recommendations of the Council hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup>June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F3(15)/Fin/(Rev-1)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30<sup>th</sup>June, 2017, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

ſ	"10	Supply of services by the members of	Members of Overseeing	Reserve Bank of
		Overseeing Committee to Reserve	Committee constituted by the	India.".
		Bank of India	Reserve Bank of India	

This notification shall come into force with effect from the 13<sup>th</sup> day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. -VI (Finance)

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, *vide* notification No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, *vide* number F. 3(15)/Fin/(Rev-1)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No.22/2017-State Tax (Rate) dated the 6<sup>th</sup> September, 2017 *vide* number F. 3(27)/Fin/(Rev-1)/2017-18/DS-VI/587, dated the 6<sup>th</sup> September, 2017.

# अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

### सं. 57/2017-राज्य कर

सं. फा. 3(70)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/808.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड रुपये तक है, ऐसे राजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थनी प्रविष्ट में यथाविनिर्दिष्ट समय तक की गई है, के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात :—

### सारणी

क्रम संख्या	तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर 1-में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर 1-में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 दिसंबर, 2017
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

- 3. अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए, यथास्थिति ब्यौरों का विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया का समय सीमा के विस्तार को पश्चात्वर्ती रूप से राजपत्र में अधिस्चित किया जाएगा।
  - 4. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, ए. के. सिंह, उप सचिव -VI (वित्त)

### **NOTIFICATION**

Delhi, the 12th December, 2017

### No. 57/2017 - State Tax

- **No. F. 3(70)/Fin(Rev-1)/2017-18/DS-VI/808.**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.
- 2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

### **TABLE**

Sl. No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	31st December, 2017
2	October - December, 2017	15th February, 2018
3	January - March, 2018	30th April, 2018

- 3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.
  - 4. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. -VI (Finance)

# अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

### सं. 64/2017 -राज्य कर

सं. फा. 03(71)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/809.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्तूबर, 2017 से आगे के लिए प्ररुप जीएसटीआर-3ख में अपनी विवरणी न भर पाने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा देय विलंब फीस की रकम का अधित्याग कर सकते है, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु ऐसे विवरणों में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक अक्तूबर माह से आगे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्याग जारी रहेगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, ए. के. सिंह, उप सचिव -VI (वित्त)

### **NOTIFICATION**

Delhi, the 12th December, 2017

### No. 64/2017-State Tax

No. F. 3(71)/Fin(Rev-1)/2017-18/DS-VI/809.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-3B for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of State tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. -VI (Finance)